न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/346

मिसल नम्बर– 99/2024

1.रामप्रसाद पुत्र श्री रामकरण आयु 69 वर्ष निवासी गणेश चौक कच्ची बस्ती, खेडली फाटक, कोटा राज0

2.सुशीला पत्नी श्री रामप्रसाद आयु 53 वर्ष निवासी गणेश चौक कच्ची बस्ती, खेडली फाटक, कोटा राज0

प्रार्थीगण।

बनाम

1.देवेन्द्र कुमार उर्फ गोलू पुत्र श्री रामप्रसाद आयु 28 वर्ष निवासी गणेश चौक कच्ची बस्ती, खेडली फाटक, कोटा राज0

2.अनिता पुत्री स्व0 श्री छोटूलाल पत्नी देवेन्द्र निवासी 251 वार्ड नं0 48 खेडली फाटक कोटा राज0 कार्यस्थल पंचायत समिति बिजोलिया भीलवाडा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 27/10/2025

उपस्थिति:–

1.श्री आदिल रजा प्रार्थीगण अधिवक्ता।

2.श्री सेख जाहिद कुरैशी अप्रार्थी नं0 1 अधिवक्ता

3.अप्रार्थीया नं0 2 स्वयं उपस्थित।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण जो कि वरिष्ठ नागरिक है तथा उन्होने अपने स्वयं की अर्जित आय से एक सम्पत्ति जो कि मकान नं0 251 गणेश चौक कच्ची बस्ती, खेडली फाटक, कोटा राज0 पर बनाई थी जिसका स्वामित्व प्रार्थीगण का है और जिस पर किसी प्रकार का कोई अधिकार अप्रार्थीगण का नहीं है परन्तु चूंकि अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थीगण का नैसर्गिक पुत्र है इस कारण वह जन्म से ही प्रार्थीगण के साथ निवास कर रहा है परन्तु जब अप्रार्थी क्रम 1 का विवाह अप्रार्थिया क्रम 2 अनिता के साथ किया तब से अप्रार्थी क्रम 1, अप्रार्थिया क्रम 2 अनिता के मुताबिक ही प्रार्थीगण के साथ दुर्व्यवहार करने लगा है तथा वह अप्रार्थिया क्रम 2 के बहकावे में आकर प्रार्थीगण को उनकी स्वयं की सम्पत्ति से बाहर निकलना चाहता है और इसी क्रम में अप्रार्थीगण ने सोची समझी साजिश के तहत प्रार्थीगण के साथ दुर्व्यवहार करते हुये उनके साथ काफी अपमानजनक व्यवहार किया। यही नही अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को बेवजह परेशान किया हुआ है और अप्रार्थीगण के इन कृत्यो से प्रार्थीगण को इस उम्र में काफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीगण के दो अन्य और संताने है जो कि अविवाहित है जिसकी की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थीगण पर ही है। परन्तु अप्रार्थीगण ने सभी प्रार्थीगण को परेशान किया हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

मीनू जो कि अप्रार्थी क्रम 1 की बहन है उसके साथ अप्रार्थिया क्रम 2, आये दिन मारपीट करती है अनर्गल इल्जाम लगाती है व गाली गलौच करती है अप्रार्थिया क्रम 2 अनिता खुद ही स्वयं को मारती है और प्रेस के वायर से आत्महत्या करने का प्रयास करती है और प्रार्थीगण से कहती है कि यदि तुमने हमारी बात नही मानी तो मैं तुम्हे झूठे मुकदमो में फसवा दूंगी। दोनो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को लगातार प्रताडित कर रखा है तथा वह प्रार्थीगण का कोई भी कार्य नही करते है वरन् इन सभी के विपरीत जो भी सामान आवश्यक होता उन सभी सामानो को जबरन ले जाते जिससे प्रार्थीगण को परेशानी होती चूंकि दोनो अप्रार्थीगण आपस में मिले हुये है और इसी कारण अप्रार्थी क्रम 2 ने प्रार्थीगण के साथ अभद्र व्यवहार करते हुये कई मर्तबा प्रार्थिया क्रम 2 के साथ लडाई–झगड़ा करते हुये गाली गलौच कर मारपीट करने पर आमादा भी हो गये जिससे प्रार्थिया क्रम 2 को काफी चोट भी आई और इसी क्रम मे अप्रार्थीगण द्वारा आपस में मिली भगत एवं सांठ–गांठ कर प्रार्थीगिण को काफी परेशान किया जाता रहा है और लगातार परेशान किया जा रहा है। अप्रार्थिया क्रम 2 प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच कर उन्हे जान से मारने की धमकी देती और कहती कि मैं तुम्हे जान से मार दूंगी और इस सम्पूर्ण सम्पत्ति को मैं अपने कब्जे में कर लूंगी और इन समस्त बातो के पश्चात् भी दोनो अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के मकान में साथ–साथ निवास कर रहे है जो स्पष्ट रूप से इस तथ्य को बखूबी प्रमाणित करता है कि अप्रार्थीगण ने एक सोची समझी साजिश के तहत प्रार्थीगण के विरूद्ध आपराधिक षडयंत्र रच रहे है और चूंकि अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थीगण का पुत्र है और वह पूरी तरह से अप्रार्थिया क्रम 2 के दबाव में है और वह कोई भी अनहोनि घटना भी अप्रार्थिया क्रम 2 के साथ मिलकर कर सकता है और इन समस्त तथ्यो से अप्रार्थीगण को यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि अप्रार्थीगण कभी भी प्रार्थीगण के साथ कोई भी कृत्य कर सकते है यहां तक कि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से जान व माल का खतरा है और इस कारण प्रार्थीगण अपने ही मकान में अप्रार्थीगण की वजह से सुरक्षित नही है। जिसके फलस्वरूप प्रर्थीगण अपना जीवन स्वतंत्र रूप से नही जी पा रहे है और जिसके. कारण यह आवश्यक है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के स्वामित्व व कब्जे वाले मकान से निकलवाया जाना चाहिए और इस हेतु उन्हे निकलवाये जाने के बाद प्रार्थीगण अपना जीवन शांतिपूर्ण तरीके से जी सकेंगे। अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण ने कई मर्तबा अपने स्वामित्व वाले रिहायश मकान नं0–251. वार्ड नं0–48 गणेश चौक कच्ची बस्ती, खेड़ली फाटक कोटा राज० से निकलकर अन्यत्र स्थान पर निवास किये जाने हेतु कहा परन्तु अप्रार्थीगण कतई भी प्रार्थीगण का रिहायश वाला मकान छोडने को तैयार नही है तथा उनके द्वारा आये दिन प्रार्थीगण को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया जा रहा है। इस हेतु अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण का मकान खाली करवाया जाना चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि दोनो अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के रिहायश व स्वामित्व वाले मकान से निकलवाये जाने बाबत् आदेश पारित किया जाना चाहिए जिससे प्रार्थीगण अपना जीवन यापन शांतिपूर्ण तरीके से कर सके।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी नं0 1 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया गया है कि मकान मेरे माता पिता के द्वारा स्वयं का बताया गया है वह मेरे माता–पिता के ही स्वामित्व का मकान है इस मकान के एक मात्र स्वामी मेरे माता–पिता ही है। यदि वह मुझे इस मकान से निकालकर शांतिपूर्वक तरीके से अपना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

जीवन व्यतीत करना चाहते है तो इस संबंध में मुझे कोई आपत्ति नही है परन्तु मुझ अप्रार्थी के द्वारा विसी प्रकार का कोई दुव्यवहार मेरे माता–पिता के साथ नही किया गया है। परन्तु इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि मेरी पत्नी अप्रार्थिया कम–2 अनिता आये दिन मेरे माता– पिता से झगडती है दुर्व्यवहार करती है और गाली–गलौच करती है और मुझ अप्रार्थी कम–1 के भाई बहन जो कि अविवाहित है उनके साथ भी मेरी पत्नी अप्रार्थिया कम–2 आये दिन झगडा व गाली– गलौच तथा मारपीट पर उतारू हो जाती है। जो कि मुझसे बिल्कुल भी सहन नही होता है परन्तु मेरी पत्नी अप्रार्थिया क्रम–2 के द्वारा आये दिन मुझे परेशान किया जाता है गाली–गलौच की जाती है और कभी कभी तो मेरी पत्नी अप्रार्थिया कम–2 के द्वारा मेरे साथ मारपीट भी की जाती है और मेरी पत्नी अप्रार्थिया क्रम–2 के द्वारा आत्महत्या करने की धमकी भी दी जाती है और कहा जाता है कि यदि मैने उसकी बात नही मानी तो वह मुझे व मेरे परिवारजन को झूदे व मनगढंत केसो में फसवाकर जेल में सडवा देगी। मेरे द्वारा मेरे माता–पिता को प्रताडित नही किया गया है परन्तु मेरी पत्नी अप्रार्थिया कम–2 उनके साथ जिस प्रकार से द्वुर्व्यहार करती है उसे भी मैं रोक नहीं पाता हूं। इसके बावजूद मेरी पत्नी अप्रार्थिया कम–2 के संबध में जो भी तथ्य मेरे माता– पिता के द्वारा अंकित किये गये है उनके संबध में कोई आपत्ति नहीं है वह समस्त तथ्य सही प्रकार से अंकित किये गये है। परन्तु चूंकि मेरी पत्नी अप्रार्थिया कम–2 ने सुझ पर अत्यधिक दबाव बना रखा है उसी के दबाव की वजह से मुझे ना चाहते हुये भी ऐसा कार्य करना पडता है जिससे कि मेरे माता –पिता व बहन भाई को दुख हो। मेरी पत्नी अप्रार्थिया कम–2 मुझ पर जबरन दबाव बनाकर इस मकान को हडपना चाहती है तथा मेरी पत्नी अप्रार्थिया कम–2 मुझ पर यह दबाव बनाती है कि मेरे वृद्ध माता –पिता व भाई बहनो को मकान से निकालकर यह मकान मेरे व मेरी पत्नी अप्रार्थिया क्रम–2 के नाम करवाये तभी वह शांति से मेरे साथ निवास करेगी। मेरी पत्नी अप्रार्थिया कम–2 के द्वारा मेरे माता–पिता के साथ कई कृत्य किये गये है जिससे मेरे माता – पिता व भाई बहनो को जान माल का खतरा है। मेरी पत्नी अप्रार्थिया कम–2 मुझ पर जबरन दबाव बनाकर इस मकान को हडपना चाहती है तथा मेरी पत्नी अप्रार्थिया कम–2 मेरे माता –पिता व भाई बहनो को घर से निकालना चाहती है जब मुझ अप्रार्थी कम–1 के द्वारा मेरी पत्नी अप्रार्थिया कम–2 को इस सबंध में कई मर्तबा समझाया गया परन्तु अप्रार्थिया कम–2 द्वारा मेरी बात नही मानी गई और अप्रार्थिया कम–2 द्वारा विरोध करते हुये मेरे साथ मारपीट करने पर आमदा हो गुई तथा मेरी पत्नी आप्रार्थिया कम–2 के द्वारा मेरे परिवारजन के साथ अभद्र व्यवहार कर गंदी–गंदी गालियां दी गई और मेरी पत्नी अप्रार्थिया क्रम–2 झगडा करके अपने पीहर बिजौलिया जिला भीलवाड़ा चली गुई और वहां पर मेरी पत्नी अप्रार्थिया कम––2 के द्वारा मुझ अप्रार्थी कम–1 व मेरे परिवारजन को परेशान करने की गरज से एक झूठा मुकदमा मेरे व मेरे परिवारजन के विरुद्ध धारा–498–ए 406 आईपीसी के तहत बिजोलिया जिला भीलवाडा राज० में दर्ज करवाया गया है तथा इसी संबंध में महिला आयोग में भी मुझ् अप्रार्थी क्रम– 1 व मेरे परिवारजन के विरुद्ध झूठी शिकायत की गई और मेरी पत्नी अप्रार्थिया कम–2 के द्वारा बार–बार यह मांग की जा रही है कि मैं अप्रार्थी कम–1 अपने परिवारजन को घर से निकाल दू तभी वह मैरे साथ आकर निवास करेगी और समस्त केस को वापस ले लेवेगी। परन्तु मैं मेरे माता–पिता को शांति से रखना चाहता हूँ और मैं मेरे माता–पिता को वृद्धावस्था में घर से निकालना नहीं चाहता हूँ इसलिये मेरे व मेरी पत्नी अप्रार्थिया कम 2 को इस मकान से निकाले जाने के संबंध में अगर माननीय न्यायालय द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

आदेश पारित किया जाता है तो मुझे इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में अप्रार्थी कम 1 कोई आपत्ति नहीं है।

अप्रार्थीया नं0 2 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र केवल मात्र अप्रार्थीया संख्या 02 के विरूद्ध इस आशय से पेश किया गया कि प्रार्थीगण संख्या 01 (ससुर) व 02 (सास) एवं अप्रार्थी संख्या 01 (पति) व अन्य ससुराल पक्ष मीनु (ननद) एवं मनीष (देवर) द्वारा सुनियोजित तरीके से सोची समझी साजिश के तहत केवल मात्र अप्रार्थीया संख्या 02 को परेशान करने व दहेज की मांग व मारपीट के प्रकरण से बचने के लिए पेश किया गया है । वास्तविक तथ्य यह है कि विवाह के पश्चात अप्रार्थीया संख्या 02 अपने ससूराल खेड़ली फाटक कोटा मे रहने हेतु गई वहां पर उसके साथ आये दिन विवाह के समय मनमकसुद दहेज की राशि नही देने से उसके ससुराल वाले एवं उसका पति आये दिन उसके साथ मारपीट करते एवं दहेज की मांग को पुरा करने के लिए दबाव बनाते और कहते कि तेरे परिवार ने हमे दहेज मे पांच लाख रूपये नही दिये इस कारण बिना दहेज के तुझे अच्छा नही रखेंगे तथा मैं गर्भवति हुई तो मुझे जबरन गोली खिलाकर मेरा गर्भपात भी मेरे ससुराल वालो के द्वारा करवाया गया। मैं उनके हर अत्याचार को सहन करते हुए चली आ रही थी कि आज से करीब 01 माह पूर्व मेरे पति व मेरे सास ससुर, ननद एवं देवर ने मेरे साथ गम्भीर रूप से मारपीट कर दहेज की मांग कर मेरे समरत जर जैवरात इत्यादि को छिनकर मात्र पहने हुए कपड़ो में धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, तब से मैं दयनिय स्थिति मे अपने पीहर ही निवास कर रही हूॅ। केवल मात्र अप्रार्थीया संख्या 02 से दहेज की मांग को पुरा नही करने के कारण अप्रार्थीया संख्या 02 द्वारा दहेज का प्रकरण दर्ज नही करा दे। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 मे मनगढंत तथ्य ऑकित कर केवल मात्र अप्रार्थीया संख्या 02 के बारे मे ही वर्णन किया है। वास्तविक तथ्य यह है कि उक्त मेरे ससुराल का रहवासिय मकान संख्या 251, वॉर्ड नं. 48, गणेश चौक, कच्ची बस्ती, खेड़ली फाटक कोटा राज. प्रार्थी संख्या 01 के नाम पर है परन्तु उस पर हाउस लोन सह लेनदार के रूप मे अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा कई किश्तो का भुगतान किया जा रहा है। मुझ अप्रार्थीया संख्या 02 का विवाह अप्रार्थी संख्या 01 के साथ हिन्दू रिति रिवाज के अनुसार दिनांक 08/03/2024 को सम्पन्न हुआ था। विवाह के समय मेरी माता एवं मेरे परिवारजन ने मुझे स्त्रीधन के रूप मे 03 तोले का सोने का हार, 02 तोले की कान झुमकियां, 04 तोले सोने की चुड़ियां, 01 सोने की चौन 01 तोले की, 01 अंगुठी सोने की वजनी पावली भर, 01 चांदी की अंगुठी, चांदी के पायजेब वजनी 200 ग्राम एवं चांदी की बिछियां व डबल बेड, एक अलमारी तथा अन्य खाने पीने के घरेलु बर्तन दिये जो वर्तमान मे मेरे ससुराल वालो के कब्जे मे है। विवाह के पश्चात कुछ समय तक मेरे ससुरालवालों का व्यवहार मेरे प्रति अच्छा रहा और उसके पश्चात आये दिन दहेज मे पांच लाख रूपये की मांग करने लगे और कहने लगे कि तेरी माता से पांच लाख रूपये लेकर आ, नही आयेगी तो यहां रहने की जरूरत नही है परन्तु मैं अपनी गृहस्थी को बचाते हुए रहती हुई चली आ रही थी कि मैं अप्रार्थी संख्या 01 के संर्सग से गर्भवति हुई, जिसका पता मेरी सास को चलने पर मेरी सास एवं मेरे पति ने मिलाभगती कर मेरे को चाय मे गोली मिलकर मेरा गर्भपात करा दिया और मुझे जानकारी होने पर मेरे ससुरावालो ने धमकी दी कि तु हमारी दहेज की मांग पूरा करेगी तो ही तुझे बच्चा पैदा करने देंगे और मेरे साथ कई बार गम्भीर रूप से मारपीट

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

करने एवं दहेज की मांग करने के विरूद्ध मैंने थाना भीमगंज मण्डी, स्टेशन रोड़, कोटा मे प्रकरण दर्ज कराया, वहां पर भी समझाईश के दौरान अच्छा रखने का वादा कर मुझे पुनः ले कर गये। मैं उनके इस प्रकार की मानसिक एवं शारिरीक क्रुरता को सहन करते हुए चली आ रही थी कि आज से करीब 01 माह पूर्व मुझ अप्रार्थी संख्या 02 के पति एवं मेरी सास व ससुर ने मुझ अप्राथीया संख्या 02 के साथ मारपीट कर मेरा समस्त जर जैवरात मुझसे छिनकर मुझे मात्र पहने हुए कपड़ो मे घर से बाहर निकाल दिया। मुझ अप्रार्थीया संख्या 02 द्वारा मेरे ससुरालवालो के विरूद्ध दहेज का प्रकरण दर्ज नही करा दुं, उससे बचने की गरज से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा मिलाभगती कर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो सव्यय खारिज होने योग्य है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझ अप्रार्थीया संख्या 02 का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

तत्पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी नं0 1 की ओर से दौराने बहस अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया किया गया। अप्रार्थीया नं0 2 की ओर से लिखित बहस पेश की गई। प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं के मकान के दस्तावेज ऋण स्वीकृति सूचना आवेदन पत्र, लोन शुदा मकान की किश्तो की जमा लोन दस्तावेज आदि पेश किये। अप्रार्थीगण नं0 2 की ओर से अपने कथन के समर्थन में प्रार्थीगण के विरूद्ध एफ.आई.आर. प्रति एवं मेडीकल जांच रिपोर्ट पेश की गई।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थीगण की स्वयं की मिलकियत मकान नं0 251 गणेश चौक कच्ची बस्ती, खेडली फाटक कोटा है। दोनो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को लगातार प्रताडित कर रखा है। अप्रार्थी कम 2 ने प्रार्थीगण के साथ अभद्र व्यवहार करते हुये कई मर्तबा प्रार्थिया कम 2 के साथ लडाई–झगड़ा करते हुये गाली गलौच कर मारपीट करने पर आमादा भी हो गये जिससे प्रार्थिया कम 2 को काफी चोट भी आई। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट या चोट के सम्बंध में करवाया गया मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है।

प्रार्थीगण के कथनों का खण्डन करते हुये अप्रार्थी नं0 2 की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर अप्रार्थी नं0 2 को प्रताडित किया जा रहा है एवं गंभीर रूप से मारपीट भी की है जिसके विरूद्ध थाना भीमगंज मण्डी, स्टेशन रोड़ कोटा में प्रकरण दर्ज कराया गया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी नं0 1 द्वारा मिलाभगती कर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थीगण के उक्त कथनों का प्रार्थीगण की ओर से बलपूर्वक खण्डन नही किया गया है जिस कारण से अप्रार्थीगण के उक्त कथनो पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण उत्पन्न नही होता है। दौराने बहस यह तथ्य भी उजागर हुआ है कि अप्रार्थी नं0 2 पंचायत समिति बिजोलिया, भीलवाडा में कार्य करती है एवं रोजाना खेड़ली फाटक, कोटा से अपने कार्यस्थल बिजोलिया भीलवाड़ा आती जाती है। प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यही कथन किया है कि अप्रार्थी नं0 2 द्वारा प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच, मारपीट, लड़ाई झगड़ा किया जाता है। अप्रार्थी नं0 2 का रोजाना कोटा से

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

अपने कार्यस्थल बिजोलिया जाना एवं पुनः वापिस कोटा आकर प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार प्रार्थीगण के साथ मारपीट किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है।

प्रार्थीगण की ओर से उक्त मकान की रजिस्ट्री व पट्टे की फोटोकॉपी, ऋण स्वीकृति सूचना आवेदन पत्र, पेश किये है जिसके अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त मकान का पट्टा प्रार्थी रामप्रसाद के नाम से बना हुआ है। ऋण स्वीकृति आवेदन पत्र के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त मकान में निर्माण के लिये प्रार्थी रामप्रसाद एवं अप्रार्थी देवेन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से ऋण लिया गया है। सह लेनदार के रूप में अप्रार्थी नं0 1 द्वारा भी किश्तो का भुगतान किया जा रहा है। अप्रार्थी नं0 2 अप्रार्थी नं0 1 की विवाहिता पत्नी है। जिस कारण से भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी नं0 2 को बेदखल किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अप्रार्थीगण को बेदखल करने के जो आधार प्रार्थीगण द्वारा बताये गये है वो झूठे व बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होना पाया जाता है जिस कारण से उपरोक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी नं0 1 के जवाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के पुत्र (अप्रार्थी नं0 1) एवं पुत्रवधु (अप्रार्थी नं0 2) के मध्य संबंध मधुर नही है जिस कारण से अप्रार्थी नं0 2 द्वारा किया गया कथन उचित प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 (अप्रार्थी संख्या 2 के पति) से मिलीभगत कर अप्रार्थी संख्या 2 को नाजायज रूप से परेशान करने व जबरन घर से बेदखल करने की नीयत से यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान से बेदखल किये जाने के पर्याप्त आधार पत्रावली में उपलब्ध नही है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम स्वीकार कर किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। परन्तु न्यायहित एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम की भावना को मद्देनजर रखते हुये अप्रार्थी को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार से शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित नही करे।

उक्त निर्णय आज दिनांक 27/10/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा